भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2173

जिसका उत्तर गुरुवार, 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

उच्चतर न्यायपालिका में आरक्षण की योजना

2173 श्री रायगा कृष्णैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर न्यायपालिका विशेष रूप से उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और समान न्यायालयों में आरक्षण की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । तथापि, सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाए ।

****